

कार्यालय मुख्य अभियंता

रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बरगी हिल्स जबलपुर

ज्ञाप क्रमांक 09/

/सा-1/2015 भाग-2

दिनांक 10/2015

कार्यालयीन आदेश

--00--

मे. Max Infratech India Pvt. Ltd. (previously G. Venkata Reddy & Company)
Plot No. 120, Flat No-402, 4th Floor G.K. Classic Sai Nagar Colony Hyderabad 500073 (A.P.)
Fax-040-23731682 को कार्यपालन यंत्री बांयी तट नहर संभाग क-1 करेली जिला नरसिंहपुर
के अंतर्गत मुख्य नहर की आर.डी. 130.67 से 135.50 किमी० तक रेणुका वितरण नहर
की आर.डी. 0.00 से 14.35 किमी. डुंगरिया वितरण नहर की आर.डी. 5.00 किमी. एवं
उसकी वितरण नहर प्रणाली हेतु मिट्टी, सी.सी. लायनिंग एवं स्ट्रक्चर्स का निर्माण कार्य
अनुबंध क्रमांक 1/डी.एल./07-08 दिनांक 7/03/2008 द्वारा आवंटित किया गया था। उक्त
अनुबंध को आपके द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप अनुबंधित समय सीमा में कार्य पूर्ण
नहीं किया गया।

उक्त कार्य को अधूरे छोड़े जाने का कृत्य शासन के नियमों के तहत गंभीर
अपचार है। जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यपालन यंत्री बांयी तट नहर संभाग क-1 करेली जिला
नरसिंहपुर द्वारा 15 दिवस के अंदर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया
था परंतु आपका जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक 7882/9679/19/यां/
99/दिनांक 19/11/2011 के परिशिष्ट-4 कंडिका (VII) में दिये गये प्रावधानुसार मे. Max
Infratech India Pvt. Ltd. (previously G. Venkata Reddy & Company) Plot No. 120, Flat No-
402, 4th Floor G.K. Classic Sai Nagar Colony Hyderabad 500073 (A.P.) Fax-040-23731682 के
पंजीयन को आदेश जारी होने के दिनांक से आपका नाम काली सूची (Black Listed) में रखा
जाता है।

इस अवधि में इन पर निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे:-

5. नवीन निविदा प्रतिस्पर्धा के स्वयं के नाम पर अथवा भागीदारों के नाम पर
भाग नहीं ले सकेंगे।
6. किसी भी फर्म में भागीदार, उभयनिष्ठ होने पर वह फर्म भी निविदा प्रतिस्पर्धा
हेतु प्रतिबंधित रहेगी।
7. किसी भी श्रेणी में निविदा प्रपत्र कय करने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की
जायेगी।
8. यदि निविदा प्राप्त होती भी है तो अनर्हत (Ineligible) मानी जावेगी।



(आर.पी. मालवीय)

मुख्य अभियंता

रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना
बरगी हिल्स जबलपुर

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
6. पुलिस महानिदेशक, भोपाल।
7. आयुक्त, म.प्र. ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग, भोपाल।
8. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल विभाग, भोपाल।
9. महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
10. प्रबंधक संचालक, म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
11. सदस्य (अभि.), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
12. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
13. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
14. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल।
15. मुख्य अभियंता (योजना एवं बजट) कार्या. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।
कृपया M/s Max Infratech India Pvt. Ltd. (previously G. Venkata Reddy & Company) Plot No. 120, Flat No-402, 4th Floor G.K. Classic Sai Nagar Colony Hyderabad 500073 (A.P.) Fax-040-23731682 का नाम काली सूची में रखे जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
16. समस्त मुख्य अभियंता.....नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण/जल संसाधन विभाग की ओर अधीनस्थ अधीक्षण यंत्रियों/ कार्यपालन यंत्रियों को अपने स्तर से निर्देश देने हेतु प्रेषित।
17. समस्त अधीक्षण यंत्री नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण/जल संसाधन विभाग।
18. कार्यपालन यंत्री..... नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण/जल संसाधन विभाग।
19. उपसंचालक, डाटा बेस, कोलार रोड, भोपाल।
20. कार्यपालन यंत्री, (ई-टेण्डरिंग) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल (प्रमुख अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग।)
21. M/s Max Infratech India Pvt. Ltd. (previously G. Venkata Reddy & Company) Plot No. 120, Flat No-402, 4th Floor G.K. Classic Sai Nagar Colony Hyderabad 500073 (A.P.) Fax-040-23731682.

(आर.पी. मालवीय)
मुख्य अभियंता

श्री अश्वती बाई लोधी सागर परियोजना
बेरगी विल्स जबलपुर